

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

शुद्धि पत्र

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-1886 दिनांक-21.08.18 द्वारा अनुशंसित कुल 143 प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों की नियुक्ति के निमित्त सभी प्रमाण पत्रों/अभिलेखों/बायोमैट्रिक की जाँच/सत्यापन हेतु विभागीय वेबसाइट पर विभागीय ज्ञापांक-1986 दिनांक-21.08.18 द्वारा आवश्यक सूचना प्रकाशित की गई थी।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-673 दिनांक-08.03.11 एवं पत्रांक -11490 दिनांक-16.08.12 के आलोक में विभागीय ज्ञापांक-1986 दिनांक-21.08.18 द्वारा प्रकाशित आवश्यक सूचना की कंडिका-vi में अंकित "अनुमंडल पदाधिकारी" के स्थान पर "अंचलाधिकारी" तथा कंडिका-vii में अंकित "जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी" के स्थान पर "अंचलाधिकारी" पढ़ा जाय। शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।


कृपया इसे इस हद तक संशाधित समझा जाय।



सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-02जी/प्र0क0पदा0(स्था0)-40-06/2018 2040 पटना, दिनांक- 24.8/18

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।



सरकार के संयुक्त सचिव